AC (PLG) MPPR
Dairy No....12 84
Date 10/09/12

168

# संयुक्त सुधार समिति (रजि0)

(सी.एच.जे.एल.वी.के—ब्लॉक,)

एच–62/3, गली नं.–2, जय प्रकाश नगर, दिल्ली–110053

शिवनन्दन गौड़
प्रधान

5310
10-9-12

2536 EM
3/9/12

सेवा में,

उपाध्यक्ष कार्यालय
डायरी सं0 2550
दिनांक 3/9/12

दिनांक......................

## REMINDER

उपाध्यक्ष
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास सदन, आई.एन.ए.
नई दिल्ली

Director (Plg.) MPR/TC,
D.D.A. Vikas Minar N. DELHI
Dy.No. L-119
Dated 11/9/12

R&D CELL
VIKAS SADAN
Dy. No. 4682
Date. 30/8/12

VC

विषयः (क) मास्टर प्लान रोड– "मार्जनल बंध रोड़ पांचवा पुस्ता, गांवड़ी से मौजपुर रोड़ नं.–66 तक" को 100 फुट चौड़ा कर निर्माण करना।
(ख) घोण्डा चौक से डी.टी.सी. डिपों यमुना विहार तक रोड़ 80 फुट चौड़ा कर निर्माण करना।

श्रीमान जी

निवेदन यह है कि डी.डी.ए. के प्रस्ताव संख्या–80 दिनांक 25.6.1981 को स्वीकृत ले–आऊट जो कि नियमतिकरण की शर्तों के अनुसार है, के अनुसार मार्जनल बंध पांचवा पुस्ता गांवड़ी से घोण्डा चौक होते हुये रोड़ नं.–66, मौजपुर तक 30 मीटर (100 फुट) मास्टर प्लान रोड़ है। जिसे डी.डी.ए.ने सुझाव एवं आपत्तिया बोर्ड ऑफ इन्क्वारी तथा हियेरिंग के अनुसार इस सड़क को यथा अनुसार 30 मीटर (100 फुट) रखने का फैसला लिया हैं। इस फैसले को जोनल प्लान में सम्मिलित कर दिनांक 17.12.2008 की डी.डी.ए. की अथोरिटी मीटिंग में पेश किया गया जिसकी स्वीकृति के बाद जोनल प्लान को शहरी विकास मंत्रालय ने दिनांक 08.03.2010 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। लोगों ने इस रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है। अतः इस मास्टर प्लान रोड़ को सम्बन्धित एजेन्सी को अतिक्रमण हटाकर पूरा 100 फुट का निर्माण की आवश्यकता है।

इसी प्रकार के दूसरी रोड़ डी.डी.ए. स्वीकृत उक्त ले–आऊट के अनुसार "घोण्डा चौक से डी.टी.सी. डिपो यमुना विहार तक" की रोड़ की चौड़ाई 24 मीटर (80 फुट) स्वीकृत है। जिस पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। अतः यह रोड़ का भी स्वीकृत नक्शे के अनुसार सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 80' चौड़ा निर्माण कराया जाये।

क्योंकि यह क्षेत्र अत्यन्त ही घना बसा है तथा उक्त दोनों रोड़ों से लाखों लोग व वाहन प्रतिदिन गुजरते है। लोगों ने इन दोनों सड़कों पर अतिक्रमण किया हुआ है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है जब तक उक्त दोनों सड़कों से अतिक्रमण हटाकर स्वीकृत चौड़ाई के अनुसार सड़कों का निर्माण नहीं होता इस क्षेत्र की आस–पास की लाखों की आबादी व क्षेत्र का विकास सम्भव नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त दोनों रोड़ों को अतिशीघ्र अतिक्रमण हटाकर जनहित में स्वीकृत प्लान के अनुसार चौड़ा करके निर्माण करने के आदेश सम्बन्धित विभाग को देने की कृपा करें। हमारी जानकारी में आया है कि क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों द्वारा उक्त दोनों रोड़ों को स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कराने के लिए–दिल्ली विधान सभा, दिल्ली नगर निगम व मुख्यमंत्री के समक्ष विषय उठाये हैं।

EM5(2)89/ 555 Dated :. 10/9/12
Forwarded for submitting suitable reply directly to all concerned, under intimation to this office :

CE/EZ

E.O.II to EM

आपका

(शिवनन्दन गौड़)
प्रधान